

102

G.P.1  
11/9/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

( CIVIL WRIT JURISDICTION )

*Rajeev*  
~~Rajeev~~ C.W.J.C. NO. \_\_\_\_\_ OF 2012.

~~Rajeev~~ Joshi. \_\_\_\_\_ Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others. \_\_\_\_\_ Respondents.

Subject:- *Selection matter*

I N D E X

Sl.No.	Particulars	PageNo
1.Petition	<i>Synopsis of the case -</i> an application under Article 226 of the Constitution of India with Affidavit. <i>1 to 9.</i>	<i>I to III</i>
2.Annexure-1	True/Photo copies of Certificates. series.	<i>- 10 to 14.</i>
3.Annexure-2	A true/photo copy of relevant portion of merit list.	<i>- 15.</i>
4.Annexure-3	A true/photo copy of list.	<i>- 16.</i>
5.Annexure-4	A true/photo copy of letter no. 712/ BEP dated 17.10.2007.	<i>- 17 to 18.</i>
6.Annexure-5	A true/photo copy of letter no. 935 dated 14.7.09.	<i>- 19.</i>
7.Annexure-6	A true/photocopy of Order of appellate authority.	<i>- 20 to 24.</i>
8.VAKALATNAMA.		

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

( CIVIL WRIT JURISDICTION )

C.W.J.C. NO. \_\_\_\_\_ OF 2012.

*Sajeer*  
~~Rajiv~~ Joshi. \_\_\_\_\_ Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others. \_\_\_\_\_ Respondents.

S Y N O P S I S :-

Prayer :-

this is an application for issuance of appropriate writ, order or direction to the respondents to appoint the Petitioner on the post of Panchayat teacher at Dhailadh Panchayat, Madhepura and to set aside order of Appellate Authority (Annexure-6) and for grant of all consequential benefits.

Important Dates & Facts:-

There was advertisement issued for selection of Panchayat Teacher at Dhailadh Panchayat.

Annex.1 The petitioner is I.Sc., B.Sc. and M.Sc. pass with

Ist. Division and fulfills the requisite qualification so he applied.

Annex.2 The committee prepared merit list and the name of petitioner also figured in the merit list.

Annex.3 The petitioner is B.Sc. Hons. so percentage should be taken from only Hon's paper i.e. 503/800= 62.8 % but they arbitrarily prepared on full marks of B.Sc. which is arbitrary, illegal and malafide which is apparent from the merit list.

17.10.07 The Respondent No. 6 issued letter No. 712/

Annex.4 BEP reminder letter to earlier letter to Panchayat Secretary/ Mukhiya Dhailadh Panchayat but nothing has been done.

14.7.09 The Respondent no. 6 sent the matter to appell

Annex.5 ate authority, Madhepura.

Annex.6 The appellate authority without calling for the objection appeal of petitioner asked report for its submission. The respondent no. 6 arbitrarily wrote it was received in 2006 without mentioning adjact date and annexing the letter. The appell

ate authority without looking of appeal arbitrarily  
rejected the appeal of the petitioner.

Hence this writ petition.

1  
14/10  
AUTH. NO. 114/01/1012/2003

INDIA  
Amresh Kumar  
372402  
Bihar  
File No 580/11  
\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Two\*Eight\*Five\*

8588 78123

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

( CIVIL WRIT JURISDICTION )

C.W.J.C. NO. \_\_\_\_\_ OF 2012.

In the matter of an application  
under Article 226 of the Constitu-  
tion of India.

AND

In the matter of :-

*Sajiv*  
~~Rajiv~~ Joshi, Son of Vinod Kumar, Resident of village-  
Rariyaha Panchayat/ Block Dhailadh, District- Madhepura  
\_\_\_\_\_ Petitioner.

Versus

- 1.The State of Bihar through the Chief Secretary  
Government of Bihar, Patna.
- 2.The Secretary, Human Resources Development  
Department Bihar, Patna.
- 3.The Director, Primary Education, Bihar, Patna.

- 4.The Deputy Director, Primary Education, Bihar, Patna.
- 5.The District Magistrate, Madhepura.
- 6.The District Education Officer, Madhepura-cum-District Programme Co-Ordinator, Madhepura.
- 7.The Block Education Extension Officer, Dhailadh, Madhepura.
- 8.The Panchayat Secretary, Dhailadh Panchayat, Madhepura.
- 9.The Mukhiya Dhailadh Panchayat, Madhepura.
- 10.Chandrashekhar Chandu, Son of Siv Nandan Prasad Yadav, Teacher Middle School Dhailadh, District-Madhepura.

\_\_\_\_\_ Respondents.

To,

The Hon'ble Ms.Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of  
the Petitioner above named;

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this is an application for issuance of appropriate writ, order or direction to the respondents to appoint the Petitioner on the post of Panchayat teacher at Dhailadh Panchayat, Madhepura and to set aside order of Appellate Authority (Annexure-6) and for grant of all consequential benefits.
2. That in this case following important questions of law of public importance are required to be decided for the just adjudication of the case:-
  - I) Appointing candidates having lesser point/ date of birth is arbitrary, illegal and discriminatory.
  - II) Without looking/ calling for original appeal arbitrarily the appellate authority rejected saying time barred is arbitrary and illegal.
3. That the petitioner is poor citizen of India.
4. That the petitioner is I.Sc. B.Sc. and M.Sc. pass candidate with Ist. Division. He is B.C. Ann. II candidate H is fit, young and smart candidate to be appointed as Panchayat teacher. Details of academic records are as

follows :-

	Marks	Division.
Matric -	538/900 -	IInd.
I. Sc.	590/900 -	Ist.
B. Sc. (Hons)	503/800 -	Ist.
M. Sc.	444/800 -	2 <sup>nd</sup> .

A true/photo copies of Certificates are annexed herewith and marked as Annexure 1 series to this writ petition.

5. That there was advertisement issued for selection and appointment of Panchayat teacher at Dhailadh Panchayat, Dhailadh Prakhand, Madhepura District. The petitioner has very good academic records and fulfils the criteria laid in the advertisement so he applied for appointment as Panchayat teacher at Dhailadh Panchayat.

6. That the committee prepared merit list and the name of petitioner also figured in the merit list which



clearly shows that he got highest marks in the graduation.

A true/photo copy of relevant portion of merit list is annexed herewith and marked as Annexure- 2 to this writ petition.

7. That petitioner is B.Sc. Hons. so percentage should be taken from only Hons. paper i.e.  $503/800 = 62.8\%$  but they arbitrarily prepared on full marks of B. Sc. i.e.  $899/1500$  which is arbitrary, illegal and malafide which is apparent from the merit list in which he has been arbitrarily awarded  $15 + 4 = 19$  marks though he secured 20 points .

A true/photo copy of list is being annexed herewith and marked as Annexure- 3 to this writ petition.

8. That the committee arbitrarily issued appointment to person who have lesser marks and percentage in graduation. The petitioner filed representation/ appeal/ objection on 2.12.05 against above discrepancies .

9. That on 12.10.07 the District Education Officer-cum- District Program Co-Ordinator, Bihar Education Madhepura issued letter no. 712/BEP/reminder to earlier letter to Panchayat Secretary/ Mukhiya Dhailadh Panchayat but nothing has been done.

A true/photo copy of letter no. 712/BEP dated 17.10.07 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ petition.

10. That on 14.7.09 the D.E.O. Madhepura sent his matter to appellate authority, Madhepura issuing letter no.935.

A true/photo copy of letter no. 935 dated 14.7.09 is being annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ petition.

11. That the appellate authority without calling for the objection/ appeal of petitioner asked report for its submission. The D.E.O. arbitrarily wrote it was received in 2006 without mentioning adject date and annexing the

letter. The appellate authority without looking above appeal arbitrarily rejected the appeal saying it is time barred.

A true/photocopy of Order of appellate authority is being annexed herewith and marked as

Annexure-6 to this writ petition.

12. That without considering the defense of appellant and without calling for the records of appeal the appellate authority arbitrarily, illegally and malafidely rejected appeal is arbitrary, illegal and malafide.

13. That the petitioner has got no other efficacious and alternative remedy than to move before this Hon'ble court for redressal of their grievance that to have this Hon'ble Court.

14. That the petitioner has never moved earlier before this Hon'ble Court for grant of relief prayed for in this case.

It is, therefore, prayed that your Lordship may graciously be pleased to admit this

writ petition, issue Rule NISI, calling upon the Respondents to show cause as to why the Reliefs prayed for in paragraph no. 1 to this writ petition be not granted to the petitioner and after hearing the party be pleased to allow this writ petition.

And/Or

Pass such other order or orders as your Lordship may deem fit and proper under the facts and circumstances of the case.

And for this the Petitioner shall ever pray

AFFIDAVIT

I, Rajeev Joshi, aged about 35 years, Son of Vinod Kumar, Resident of village- Rariyaha Panchayat/ Block Dhailadh, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and Circumstances of the case.
2. That the Contents of the petition have been read over and explained to me in Hindi which I have understood and the statements made in Paragraph Nos. 5, 12, 13, are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos. 4, 6, 7, 8, 11 are derived from record of the case and rest are byway of submission before this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photo copies of their respective originals.


Rajeev Joshi

10

Annexure 1

0002200000

# BHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD, PATNA SECONDARY SCHOOL EXAMINATION



FOLLOWING ARE THE DETAILED MARKS OBTAINED BY:

ROLL CODE	ROLL NO.	NAME OF THE CANDIDATE										EXAMINATION					
04407	0472	RAJEEV JOSHI										ANNUAL 1990					
SCHOOL NAME → T P C MADHEPURA											GRADE IN GROUP C → B						
GROUP-A											FIFTH SUBJECT	AGGREGATE	RESULT				
MIL			SIL					SUBJECT									
SUBJECT	PAPER 1	PAPER 2	TOTAL 150	SUBJECT	PAPER 1 PART 1	PAPER 1 PART 2	PAPER 2 PART 1		PAPER 2 PART 2	TOTAL 150							
HN	42	43	085	SNK	55		50		105	SSC	538	2ND DIV					
GROUP-B																	
ENGLISH			MATHEMATICS			SOCIAL SCIENCE			NATURAL SCIENCE			DPTIONAL					
PAPER	PAPER	TOTAL	PAPER	PAPER	TOTAL	HCV	GEO	TOTAL	THEORY 135			PRAC-TICAL	TOTAL	SUBJECT	PAPER 1	PAPER 2	TOTAL
		150			150			150	PHY	CH	BIO						
50	46	96	43	40	83	46	34	80	18	35	23	08	083	EC	38	48	86

*[Signature]*

SECRETARY

P.T.P. FORMS

11

# विद्यार् विद्यालय परीक्षा समिति

सं/90C 000173593



प्रमाणित किया जाता है

होल कोड 14407 क्रमांक 0472 जो

के पुत्र/की पुत्री हैं, और जिनकी जन्म-तिथि

से 1990 ई०

ई० है, T P C MADHEPURA

श्रेणी में उत्तीर्ण हुए / हुई।

द्वितीय / मूलक माध्यमिक परीक्षा में SECOND

विषय SSC

रहा जिसमें वे उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण रहे।

व्योमी उत्पादक कार्य तथा सामुदायिक सेवा के आधार पर विद्यालय द्वारा प्रदत्त ग्रेड

है।

विद्यालय परीक्षा समिति

तिथि 29 AUGUST 1990

ई०। 4/023242

*M. S. 15*

सचिव



PATNA

MARKS STATEMENT

The following are the marks obtained by RAJEEV JOSHI

College: MADHEPURA COLLEGE MADHEPURA

Roll Code 623

No 10515

Enlistment No. MP212 90

at the Annual Intermediate SCIENCE

Examination 1992

held in the month of JUNE

Subject Name	Full Mks.	Pass Mks.	Mks. Mks. Theo.			Pract Pract-Pract			Subject Total	Agg. Mks. Result
			I	II	Total	I	II	Total		
01 COMPULSORY:										
NRB/MAI	100	30	23	33	056				056	
ENGLISH	200	60	52	62	114				114	
02 OPTIONAL:										
PHYSICS	200	45+20	52	47	099	49		49	148	
CHEMISTRY	200	45+20	51	42	093	49		49	142	
MATHEMATICS	200	60	62	68	130				130	
03 ADDITIONAL:										
BIOLOGY	200	45+20	36	48	084	18	19	37	121	593/900 UR 1ST DIV

Note: \* Regulations Overleaf

- \* Botany (I)
- \* Zoology (II)

REMARKS

In order to pass the ISc Exam. a candidate must obtain 30% of total marks in theory portion of each subject and 40% of the total marks in practical portion of each subject.  
1st Division 540  
2nd Division 405  
The remaining successful candidate shall be placed in the third division. Distinction 75% Marks in any subject

Date

*[Signature]*  
Sectional Officer

*[Signature]*  
Secretary

*[Handwritten marks]*



Sl. No. 1



**B. N. MANDAL UNIVERSITY**  
**LALONAGAR, MADHEPURA (Bihar)**

1910

THREE YEAR DEGREE (HONOURS) COURSE

B. Sc. (HONOURS) FINAL

Date of Issue ... 12.12.97

The following are the details of marks obtained by Sri विद्या शर्मा Roll No. 56268 of July ... 1997 ... at the BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) FINAL EXAMINATION 1995 ... held in the Month ...

Roll No. & year of Part I Exam.	HONOURS			First Subsidiary		Second Subsidiary		RASTRA BHASHA			General Studies	Grand Total	Result	REMARKS
	Subject	Practical	TOTAL	Theoretical	Practical	Theoretical	Practical	Hindi	N-Hindi	M. B.				
56268/93 Part II Exam 56268/94	Bot	200	800	150/200	50	150/200	50	200	100	100	100	1500	First Class	Minimum Marks for First Class 60% Second Class 45% Provided Pass Marks in each Subject of each part
Pass Marks	270/360	90	360	46/66	20	46/66	20	66	33	33	33			
Marks Obtained	328	175	503	76	28	80	31	106	-	-	75	899	I	Aggregate in Words Eight hundred ninety nine

Rs. 20/- only.

Assistant

Sectional Officer

Balbir Kumar  
Signature of Tabulator

Prasenjit  
Controller of Examinations

25.15

13

6

14

Sl No. 166

Date 02/04/2004

**B. N. MANDAL UNIVERSITY**  
**LALOO NAGAR, MADHEPURA**  
**(EXAMINATION DEPARTMENT)**

MARKS SHEET POST GRADUATE COURSE  
 Pg SCIENCE

STUDENT DETAILS  
 NAME: RAJEEV JOSHI COLLEGE: T.P. COLLEGE, MADHEPURA  
 CENTRE NAME: M.L.T. COLLEGE SAHARSA ROLL NO./YEAR: 5342/00  
 REG. NO./CENT: 19280 EXAM NAME /YEAR: PG  
 HELD IN THE MONTH OF: August 2003 PG SUBJECT: BOTANY

SPECIAL PAPER P PATH	First Paper theory	Second Paper Theory	Third Paper Theory	Fourth Paper Theory	Fifth Paper Theory	Six Paper Practical	Seventh Paper Practical	Eighth Paper Practical	Total Marks In Theory Paper	Total Marks In Practical Paper	Total Marks Obtained	REMARKS
100	100	100	100	100	100	100	100	100	205	239	444	1st Class 480, 2nd Class 360, 3rd Class 300
45	06	45	37	72	78	81	80	205	239	444	2nd	
TOTAL MARKS IN WORDS												
HOUR FOUR FOUR												

BY OPERATOR

S.C.

*Chander Mishra*  
 TABULATOR

*Abhinav Mishra*  
 CONTROLLER OF EXAMINATION

पंचायत कार्यालय पौलाद :- 2005 में शिक्षा मित्र में नियोजन हेतु मेधा अंक प्रकाशन  
ग्राम पंचायत पौलाद दिनांक

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	जन्मतिथि	01.01.2005 तक उम्र	इन्टर प्राप्तांक	बी०ए० प्राप्तांक	एम. प्राप्तांक	बी० एम० प्राप्तांक	
1	राकेश कुमार रौशन	श्री उपेन्द्र प्र० यादव	यादव	12.1.80	24 वर्ष 11 माह 19 दिन	680	—	—	—	6
2	संजीव मणीदेव	रामदेव कामती	केवट	26.12.78	26 वर्ष	524	—	—	—	10
3	अनिल कुमार	बुच्ची मंडल	केवट	18.1.84	20 वर्ष 11 माह 13 दिन	619	—	—	—	15
4	नरेन्द्र कुमार	परमानन्द यादव	यादव	2.10.75	2 वर्ष 2 म० 29	543	—	—	—	15
5	कुमार अर्पणा	चन्द्रशेखर आजाद	यादव	25.11.81	23 वर्ष 1 म०	501	—	—	—	10
6	रितु कुमार	सुरेश रजक	धोबी	24.3.86	18 वर्ष 9 म०	448	—	—	—	10
7	राजीव जोशी	विनोद कुमार	यादव	25.2.76	28 वर्ष 10 म० 6 दि०	530	899	—	—	19
8	अखलेश्वर कुमार	योगेन्द्र ना० यादव	यादव	10.10.76	29 वर्ष 2 म० 21 दिन	611	741	—	—	19
9	मुन्नी जयसवाल	सुकदेव चौधरी	कलवार	10.10.84	21 वर्ष 1 म० 15 दिन	657	—	—	—	15
10	चुन्नी कुमारी	सुकदेव चौधरी	कलवार	9.8.87	17 वर्ष 4 म० 22	576	—	—	—	15
11	राम कुमार	महेश्वर मंडल	केवट	2.2.77	27 वर्ष 10 म० 29	604	—	—	—	15
12	मीना कुमारी	राजनन्दन कुमार	यादव	12.12.74	30 वर्ष	553	—	—	—	
13	चन्दन कुमार	रामलखन मंडल	1.8.82	20 वर्ष 10 म०	621	—	—	—	—	15
14	पंकज कुमार	रतन पासवान	दुसाध	16.8.85	19 वर्ष 4 म० 15	571	—	—	—	15
16	संतोष कुमार	कमलेश्वर प्र० यादव	यादव	10.2.80	24 वर्ष 10 म०	611	414	—	—	19
17	संतोष कुमार	सुबोध कुमार	यादव	10.3.86	18 वर्ष 9 म० 21	713	—	—	—	20
18	पंकज कुमार	अमरेन्द्र कुमार	यादव			445	—	—	—	15
19	नवीन कुमार	सुबोध कुमार	यादव			691	—	—	—	10
20	राजीव कुमार	खहर रजक	धोबी	5.6.85	19 वर्ष 6 म० 26	496	—	—	—	20
21	बीखज शर्मा	विनदेशरी शर्मा	ताँती	20.11.86	18 वर्ष 1 म० 11 दि	476	—	—	—	10
22	राम ना० गुप्ता	मुरली प्र० गुप्ता	ताँती	30.10.78	26 वर्ष 2 माह	523	—	—	—	10
23	बिन्देश्वरी मंडल	हीरालाल मंडल	केवट	20.2.67	37 वर्ष 10 माह 11		—	—	—	10
24	कुमारी शशी प्रभा	मिथिलेश कु० मंडल	केवट	15.1.64	40 वर्ष 11 मा 16		—	—	—	
25	चन्द्रशेखर बन्दु	शिवनन्दन प्र० यादव	यादव	122.82	22 वर्ष 10 माह 19	742	—	—	—	
26	सतीस संतोष कु०	महेश्वरी प्र० यादव	यादव	29.12.78	26 वर्ष	527	—	—	—	26
27	अनिल कु०	दीपना० यादव	यादव	10.2.81	23 वर्ष 10 माह 21	414	1144	—	—	15
28	निर्मल कुमार	शत्रुघन प्र० यादव	यादव	20.10.76	28 वर्ष 2 म० 16	557	—	—	—	

शिक्षा समिति सदस्य

विरेंद्र कामत प्र० वि० वासुदेवा अध्यक्ष

14

Annexure-3

मेधा क्र0	प्राप्ति क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	कोटी	जन्म तिथि	इन्टर प्राप्तांक	बी0ए0 प्राप्तांक	एम0ए0 प्राप्तांक	बी0एड0 प्राप्तांक	अन्य	कुल अंक	मेधा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	66	केशव कुमार	कृष्णवल्लव यादव	पिछड़ी जाति	5.2.82	694	608	611			20+9+ =39		
2	25	चन्द्रशेखर चन्दु	शिवनंदन प्र0 यादव	पिछड़ी जाति	12.2.82	742					20 = 20		
3	42	अजय कुमार	प्रदीप प्र0 यादव	पिछड़ी जाति	2.10.83	719					20 = 20		
4	16	स्तोष कुमार	कमलेश्वर प्र0 यादव	पिछड़ी जाति	10.10.80	713					20 = 20		
5	19	नीवन कुमार	सुबोध कुमार	पिछड़ी जाति	अप्राप्त	691					20 = 20		
6	1	राकेश रोशन	उपेन्द्र प्र0 यादव	पिछड़ी जाति	12.1.80	680					20 = 20		
7	7	राजीव जोशी	विनोद कुमार	पिछड़ी जाति	25.2.76	590	899				20 = 20		
8	8	अखलेश्वर कुमार	योगेन्द्र ना0 यादव	पिछड़ी जाति	10.8.76	611	741				15+4= 19		
9	15	शम्भु कुमार	कमलेश्वर प्र0 यादव	पिछड़ी जाति	10.2.80	611	414				15+4= 19		
10	27	अनिल कु0 अजल	दीप ना0 यादव	पिछड़ी जाति	10.2.81	414	1144				15+9=19		
11	41	धीरेन्द्र कामती	विशेश्वर कामती	अत्यन्त पिछड़ी जाति	9.2.74	528	928				10+7=17		
12	13	चन्दन कुमार	राम लखन मंडल	अत्यन्त पिछड़ी जाति	1.3.82	621					15=15		
13	3	अनिल कुमार	बुच्ची मंडल	अत्यन्त पिछड़ी जाति	18.1.82	619					15=15		
14	65	अरूण कुमार	भूपेन्द्र यादव	पिछड़ी जाति	618						15=15		

*Handwritten signature*

17

ए नै क स घ र- 4

पत्राक 712/ बी.ई.पी.

प्रेषाक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,

सह जिला कार्यक्रम मन्व्यक ,

बिहार शिक्षा परियोजना म्पुरा।

सेवा में,

पंचायत सचिव, / मुंडिया जी,

गाम पंचायत ..

म्पुरा दिनाक 17.7.07

विषय:-

ब्लॉक प्रहाण्ड के अन्तर्गत धेलाठ पंचायत के शिक्षाक नियोजन

में अनियमितता एवं धीर धांधली कर वरते जाने के सम्बन्ध में।

पुस्तक :-

अधोहस्ताक्षरी के पत्राक 629 दिनाक 26.9.07

महाशाय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्राक 629 दिनाक

26.9.07 का कृपया उमरण किया जाय। संबंधित पत्र द्वारा आपसे

नियोजन से सम्बन्धी मूल अटिन्डा के साथ 5.10.07 को अधोहस्ताक्षरी के

कार्यालय कक्षा में उपरोक्त होने का निर्देश किया जा/करा गया था।

-2-

नियोजन से सम्बन्धित राजीव गांधी राष्ट्रीय सचिव साइ नई मूल द्वारा भी करती गयी अनियमितता के आलोक में परिवाद संव प्राप्त हुआ है।

अतः इस पत्र के माध्यम से पुनः रेमारित करते हुए निम्नलिखित किया जाता है

कि दिनांक 25.1.07 को 2-0 बजे अधोस्तारी कार्यालय कक्षा में

मूल अभिलेख के साथ बिना मूल अस्पष्ट उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

दिलम्ब की स्थिति में तारी जबाबदेही आपकी होगी तथा उचित कार्रवाई

केतु उच्चाधिकारी को संसूचित करने की बाध्यता होगी।

इसे सर्वोच्चा प्राथमिकता देना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वास भाजन

ह0अस्पष्ट

~~Secretary of Revenue~~

ए नै व स चक्र- 85

पत्रांक - 935 ई0

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकक,

मधेपुरा।

सेवा में,

सदस्य जिला अपीलिय अधिकता शिक्षक नियोजन कार्यालय,

मधेपुरा।

मधेपुरा दिनांक 14.7.09

विषय:- मई 2003 में धसाढ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत धोषाढ के शिक्षक नियोजन संबंधित शिकायत के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि अनुपालन समाहरणालय

मधेपुराके पत्रांक 623 दिनांक 15.6.07 के अनुपालन के लिये वर्ष 2006 में

शिक्षक नियोजन ग्राम पंचायत धसाढ प्रखण्ड दौलतपुर में प्रस्तीत अस्पष्ट

बिजौर कुमार गाम त्त त्त पंचायत धसाढ के द्वारा की गयी परिवाद पत्र प्राप्त

है। परिवाद पत्र की छायापुति संकन करते है। भावदइय सेवा मे आवश्यक

क्रियार्थ समर्पित।

विश्वास भाजन

ह0अस्पष्ट

जिला शिक्षा अधिकक मधेपुरा।

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा

अपील दाद संख्या :- 78/2009


राजीव जोशी ————— वादी

बनाम

ग्राम पंचायत घैलाढ एवं अन्य ————— प्रतिवादी

आदेश

26.07.11



*Wishu*  
26.7.11



1. यह अपील राजीव जोशी ने घैलाढ पंचायत अन्तर्गत शिक्षा मित्र नियोजन वर्ष 2005 में नियोजन इकाई द्वारा बरती गई अनियमितता के खिलाफ दायर किया है। वादी का आरोप है कि वे शिक्षा मित्र में नियोजन हेतु घैलाढ पंचायत में आवेदन दिया था और वे पिछड़े वर्ग सीट एवं अनारक्षित सीट के लिए दावा किया था। इनका यह भी आरोप है कि वे अपने आवेदन में अपनी एम0एससी0 तक की शैक्षणिक योग्यता का भी जानकारी दी थी लेकिन नियोजन इकाई ने उनका आवेदन को बदलकर एम0एससी0 का जिक्र नहीं किया ताकि वैटेज घटाया जा सके और उनका वैटेज 19 दिखाकर और चन्द्रशेखर चंदू का वैटेज 20 दिखाकर इनको नियोजन से वंचित रखा और चन्द्रशेखर चंदू का नियोजन शिक्षा मित्र में किया जो गलत है। अपने आरोप की सम्युष्टि में इनका कथन है कि इनको जो पंचायत द्वारा प्राप्ति रसीद दी गई थी उसका स्याही और पंचायत द्वारा जमा किए गए आवेदन की स्याही में फर्क है।

2. इस ग्राम पंचायत अन्तर्गत वर्ष 2005 में नियोजित सभी नियोजित शिक्षकों ने अपने लिखित जबाब में दर्शाया है कि अपीलकर्ता का अपील कालबाधित है और नियोजित सभी शिक्षकों का नियोजन नियमानुसार हुआ है। इन नियोजित शिक्षकों का यह भी कथन है कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के प्रभारी होने की तिथि से सभी शिक्षा मित्र का समायोजन पंचायत शिक्षक में किया गया और उक्त समायोजन के खिलाफ वादी ने तीस दिनों के अन्दर कोई अपील दायर नहीं किया है। अतः शिक्षामित्र में नियोजन के खिलाफ





वादी ने तीस दिनों के अन्दर किसी तरह का आपत्ति नहीं दिया था इसलिए अब उनलोगों का शिक्षा मित्र में नियोजन के खिलाफ अपील कालबाधित है। पंचायत शिक्षक में नियोजन के खिलाफ भी वादी ने तीस दिनों के अन्दर अपील दायर नहीं किया है अतः अपील कालबाधित है।

3. पंचायत घैलाढ़ की ओर से तत्कालीन पंचायत सचिव एवं वर्तमान पंचायत सचिव ने अपना-अपना लिखित जबाब दाखिल किया है। इनदोनों पंचायत सचिवों ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि शिक्षा मित्र नियोजन के लिए कुल 66 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनदोनों का कथन है कि किसी भी आवेदन में छेड़छाड़ नहीं की गई थी और राजीव जोशी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। पंचायत में विधिवत् रूप से मेधा सूची तैयार किया गया था। राजीव जोशी ने आवेदन करने के समय मैट्रिक, इन्टर एवं स्नातक का अंक पत्र सम्मिलित किया था। इनके द्वारा स्नातकोत्तर का अंक सम्मिलित नहीं किया गया था। इसलिए स्नातकोत्तर का अंक नहीं जोड़ा गया था।
4. यह तथ्य सर्वमान्य है कि उक्त पंचायत में शिक्षा मित्र के नियोजन के लिए 5 पद आवंटित था। अनारक्षित महिला 2 पद, अनारक्षित 1 पद, अति पिछड़ी महिला - 1 पद, अति पिछड़ा पुरुष - 1 पद। उक्त पद के लिए निम्नांकित अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिसका नाम एवं वैटेज अंकित किया जाता है -
  - (i) चन्द्रशेखर चंदू अनारक्षित पद वैटेज - 20
  - (ii) धीरेन्द्र कामती अति पि0 वर्ग पद - वैटेज - 17
  - (iii) श्रीमती किरण कुमारी अनारक्षित महिला - वैटेज 15
  - (iv) श्रीमती नीलम कुमारी अ0 जाति - 17
  - (v) नीता कुमारी पि0 जाति - वैटेज 15
5. इस अपील के निर्णय हेतु निम्नांकित न्याय बिन्दु गठित किया जाता है -





(i) क्या अपील कालबाधित है ?

(ii) क्या वादी राजीव जोशी के आवेदन पत्र को बदला गया है?

(iii) क्या नियोजित शिक्षकों का नियोजन शिक्षक नियोजन नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के बाद शिक्षा मित्र में नियोजित शिक्षकों का नियोजन रद्द किया जा सकता है ?

6. सबसे पहले मैं न्याय बिन्दु नम्बर एक पर क्या अपील कालबाधित है पर विवेचना करना आवश्यक समझता हूँ। वादी का कथन है कि शिक्षा मित्र का नियोजन दिनांक 05.11.2005 को किया गया था। वादी ने उस नियोजन के खिलाफ जिला शिक्षा अधीक्षक के यहाँ दिनांक 02.12.2005 को आपत्ति दिया था। लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक ने अपने पत्रांक 1117 दिनांक 11.08.2009 को जो सदस्य अपीलीय प्राधिकार को भेजा है में साफ-साफ अंकित किया है कि वादी वर्ष 2006 में आपत्ति दाखिल किया था लेकिन पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख नहीं भेजने के कारण जॉच लम्बित रह गया। अतः यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी ने अपना आपत्ति नियोजन के एक महीना के बाद दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने न्यायादेश रिट संख्या - 10965/2009 संजीव कुमार मेहता बनाम बिहार सरकार में स्पष्ट रूप से दिए हैं कि अगर तीस दिनों के अन्दर आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है तो अपील कालबाधित माना जायेगा। इस अपील में समय-सीमा के अन्दर आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। अतः उपर वर्णित तथ्य एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायादेश के आलोक में अपील कालबाधित है। इसलिए चलने योग्य नहीं है।




7. अब न्याय बिन्दु नम्बर दो पर विवेचना करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में वादी का कथन है कि वे अपने आवेदन के साथ एम0ए0 का मार्कशीट भी लगाया था जिसे पंचायत ने वैटेज कम करने के लिए मूल आवेदन को हटाकर दूसरा आवेदन लगा दिया और जिसमें उनका वैटेज कम दिखाया। इस सम्बन्ध में



वादी ने कहा है कि उनके प्राप्ति रसीद का इंक और मूल आवेदन के इंक में फर्क है। इस संबंध में दोनों पंचायत सचिवों ने लिखित प्रतिवेदन दिया है कि वादी द्वारा एम0ए0 की डिग्री नहीं दिया गया था और गलत आरोप लगाकर अपील दायर किया गया है। पंचायत द्वारा वादी को आवेदन दाखिल किया गया है। मूल आवेदन का स्याही और प्राप्ति रसीद का स्याही में मेल नहीं होना बहुत कारणों से हो सकता है। प्राप्ति रसीद को बनाया भी जा सकता है। मूल आवेदन भरने के बाद दूसरे स्याही वाली इंक से प्राप्ति रसीद भरा भी जा सकता है। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि वादी के मूल आवेदन में हेड़ाफेरी की गई है।

8. अब न्याय बिन्दु नम्बर तीन पर विवेचना करना सबसे जरूरी है। प्रतिवादी नियोजित शिक्षकों का कथन है कि पंचायत शिक्षा मित्र में इन सबों का नियोजन 05.11.2005 को हुआ और बार-बार इनलोगों का अवधि विस्तार किया गया एवं शिक्षक नियमावली 2006 के प्रभावी होने के तिथि से ये लोग पंचायत शिक्षक का दर्जा पा गए हैं जिसके खिलाफ वादी ने किसी तरह का आवेदन नहीं दिया। बिहार पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 की लागू होने की तिथि दिनांक 01.07.2006 से ये सभी शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक का दर्जा बिहार सरकार ने नियम 20 के अनुसार दे दिया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के रिट संख्या 5992/2008 मो0 युनुस बनाम बिहार सरकार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट न्यायादेश दिए हैं कि पंचायत शिक्षक का दर्जा प्राप्त पंचायत शिक्षा मित्र में नियोजित शिक्षा मित्रों के नियोजन को अब विरोध नहीं <sup>किया</sup> ~~कहा~~ जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है इन लोगों का नियोजन पहली बार शिक्षा मित्र में नियोजन होने के कारण पंचायत शिक्षक का दर्जा नहीं दिया गया है। बल्कि बार-बार अवधि विस्तार और अन्तिम बार सेवा-विस्तार के कारण इनलोगों को पंचायत शिक्षक का दर्जा बिहार सरकार ने दे दिया है। अतः यह न्याय बिन्दु





प्रतिवादियों के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9. उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में यह अपील खारिज किया जाता है।



09.8.11

*[Signature]*  
सदस्य 26.7.2011

जिला शिक्षक नियोजन  
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

प्रमाणिकरण शुल्क

200/-  
तुलन लिपिक  
09.8.11

COMPARED BY  
*[Signature]*  
Comparing Clerk  
13.8.11

Certified to be a true

Head Clerk  
UIS 76 Act 101 1873  
09.8.11

Application For Copy Rs. 200/-  
Searching Fee.....  
Copies Fee for Urgency.....  
Fotos.....  
Other Fee if any.....

200/-  
Comparing Clerk  
09.8.11